पत्नी का कमाने योग्य होना भरण-पोषण के दावे में बाधा नहीं : हाईकोर्ट

■ आगरा फैमिली कोर्ट के फैसले और आदेश को दी थी चुनौती
■ कोर्ट ने कहा, पति अपनी कानूनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता

प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भरण-पोषण के एक मामले में महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि सिर्फ इस बात से कि पत्नी पढ़ी-लिखी है या उसमें कमाने की क्षमता है, उसे सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण-पोषण का दावा करने से वंचित नहीं किया जा सकता। मामले की सुनवाई कर रहीं न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद ने कहा कि जिस बात पर विचार किया जाना चाहिए, वह यह है कि क्या उसमें खुद का भरण-पोषण करने की वास्तविक और मौजूदा क्षमता है। वह भी उसी जीवन-स्तर के अनुसार, जिसका वह अपने वैवाहिक घर में आनंद लेती थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक यह साबित न हो जाए कि वह किसी लाभकारी रोजगार में है और खुद का गुजारा करने के लिए पर्याप्त कमा रही है, तब तक पति अपनी कानूनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता।

15 हजार रुपये भरण-पोषण के तौर पर देने का आदेश दिया गया था

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि भरण-पोषण के अधिकार का आकलन पति की सामाजिक और आर्थिक स्थिति के आधार पर किया जाना चाहिए, न कि केवल पत्नी की पिछली कमाई या शैक्षणिक योग्यताओं के आधार पर। पत्नी की ओर से दाखिल पुनरीक्षण याचिका में आगरा फैमिली कोर्ट के फैसले और आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उसे भरण-पोषण के तौर पर 15,000 रुपये देने का आदेश दिया गया था। याचिकाकर्ता ने इस राशि को बढ़ाने की मांग की थी। दोनों पक्षकारों के बीच अगस्त 2014 में शादी हुई थी। पत्नी ने आरोप लगाया कि शादी के एक महीने के भीतर ही उसे दहेज की गैर-कानूनी मांगों के चलते घर से निकाल दिया गया।

उसने दावा किया कि उसके पति ने बिना किसी उचित कारण के उसे छोड़ दिया। साथ ही लगभग 5 करोड़ रुपये की वार्षिक आय होने के बावजूद उसने उसे कोई भरण-पोषण राशि नहीं दी।

दूसरी ओर, पति ने दावा किया कि याचिकाकर्ता ने बिना किसी पर्याप्त कारण के उसे छोड़ दिया और उसके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया। हाईकोर्ट के समक्ष पति ने यह तर्क दिया कि चूंकि पत्नी अत्यधिक पढ़ी-लिखी है, उसके पास एमबीए की डिग्री है और शादी से पहले वह एक लाभकारी रोज़गार में थी, इसलिए उसमें प्रति माह 50,000 रुपये से अधिक कमाने की क्षमता है। उसने आगे दावा किया कि वह स्वयं केवल 15,000 रुपये से 20,000 रुपये प्रति माह कमाता है। उस पर अपनी वृद्ध मां के भरण-पोषण की जिम्मेदारी भी है। बेंच ने चतुर्भुज बनाम सीता बाई 2007 मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देकर कहा कि खुद का गुज़ारा करने में असमर्थ (सीआरपीसी की धारा 125 के तहत) का मतलब यह नहीं है कि पत्नी का पूरी तरह से बेसहारा होना ज़रूरी है। पत्नी की कमाने की क्षमता के बावजूद, पति का भरण-पोषण करने का दायित्व बना रहता है। कोर्ट ने कहा कि पति के अपनी खुद की आर्थिक असमर्थता के दावे बहुत ज्यादा संदिग्ध थे। कोर्ट ने पति द्वारा प्रस्तुत आय के दावे को संदिग्ध माना क्योंकि वह एक आलीशान जीवन जी रहा है। कोर्ट ने कहा पति अपनी पूरी आमदनी बताने में हिचकिचा रहा है। यह हिचकिचाहट और टालमटोल आय की सच्चाई पर गंभीर संदेह पैदा करती है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को देखते हुए कहा कि 15,000 रुपये की मासिक राशि का फैसला न तो न्यायसंगत था और न ही उचित। इस प्रकार, आपराधिक पुनरीक्षण स्वीकार करते हुए मामला परिवार न्यायालय को नए सिरे से भरण पोषण का निर्धारण करने के लिए भेज दिया है।

प्रदेश 30s

यमुना एक्सप्रेस-वे पर सफर होगा महंगा

ग्रेटर नोएडा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू करने की तैयारी के बीच अब यमुना एक्सप्रेसवे पर भी सफर महंगा होने जा रहा है। एक्सप्रेसवे का संचालन कर रही कंपनी सुरक्षा रियलिटी ने यमुना विकास प्राधिकरण (वीडा) को टोल दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव भेजा है। हालांकि, अभी प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका, कंपनी ने कंसेशन एग्रीमेंट का हवाला देकर टोल बढ़ाने की मांग की है। यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो ग्रेनो से आगरा तक सफर करने वाले लाखों यात्रियों को अधिक टोल चुकाना पड़ेगा। वहीं, टोल दरों में संभावित बढ़ोतरी से यात्रियों और व्यावसायिक वाहन चालकों की चिंता बढ़ी है।

36 जिलों के 614 केंद्रों पर होगी टीजीटी की परीक्षा

प्रयागराज। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक (टीजीटी) के 15 विषयों के 3539 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा चार साल बाद तीन और चार जून को कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने इसकी तैयारियां तेज कर दी है। परीक्षा के लिए 36 जिलों में 614 केंद्र बनाए गए हैं। इसके लिए 8,68,531 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं।

दुल्हन फरार, छोटी बहन से कराई दूल्हे की शादी

शामली/कांधला। कांधला के एक गांव में घर में युवती की शादी की तैयारियां चल रही थी। शाम को बारात आने से कुछ देर पहले दुल्हन अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। इससे घर में हड़कंप मच गया। कुछ ही देर में दूल्हा भी बारातियों के साथ पहुंच गया। लड़का पक्ष को जब पता लगा तो पंचायत बैठी और दुल्हन की छोटी बहन से दूल्हे की शादी कराई गई। दोनों की शादी के बाद विदा किया।

रील बना रहे युवकों पर तेंदुए का हमला, दो घायल

लक्ष्मीपुर (महराजगंज)। सोहगीबरवा सेंचुरी की लक्ष्मीपुर रेंज अंतर्गत वनग्राम अचलगढ़ में मंगलवार को रील बनाने का जुनून दो युवकों पर भारी पड़ गया। पुलिया के नीचे साइफन में तेंदुए को बैठे देख मोबाइल से रील बना रहे युवकों पर उसने हमला कर दिया। इसमें दोनों युवक घायल हो गए। इस घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है। वन विभाग की टीम निगरानी में जुट गई है।

खीरी कांड: आज डीएम के दर्ज होंगे बयान

लखीमपुर। जिले के बहुचर्चित खीरी कांड के दोनों मुकदमों की सुनवाई मंगलवार को थी। पूर्व मंत्री पुत्र आशीष समेत 13 आरोपियों के मामले में गवाह अनिल कुमार सिंह के बयान दर्ज होने थे। लेकिन गवाह के न आने की वजह से बयान दर्ज नहीं हो सके। इस मामले में अभियोजन 13 मई को तत्कालीन डीएम अरविन्द चौरसिया के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बयान दर्ज करायेगा।

कानपुर देहात में अकारू गांव में सनसनीखेज वारदात

मंगलपुर में प्रेमिका का गला रेत फांसी पर झूला

■ प्रेमिका के घर वालों के पाबंदी लगाने से नाराज था युवक
■ युवक नाना की मौत के बाद नानी के साथ उनके घर में ही रहता था

कानपुर देहात, संवाददाता। मंगलपुर थाना क्षेत्र के अकारू गांव में मंगलवार सुबह एक युवक ने प्रेमिका के घर में जाकर पहले उसका गला रेता और फिर फांसी लगाकर जान दे दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू की। बताया जा रहा कि युवक नाना की मौत के बाद नानी के साथ उनके घर में ही रहता था।

पुलिस ने बताया कि औरैया के दिबियापुर थाना क्षेत्र के रामगढ़ सरैंया निवासी 25 वर्षीय शिशुपाल पुत्र रामेश्वर अपने नाना सोनेलाल की मौत के बाद अक्सर उनके घर जाने के साथ रहने लगा था। इसी दौरान शिशुपाल के पास ही रहने वाली एक 15 वर्षीय किशोरी से प्रेम संबंध बन गए। शिशुपाल ने एक मोबाइल खरीदकर किशोरी को दिया था। इसकी जानकारी लगने पर परिजनों ने फोन वापस कराने के साथ ही किशोरी पर पाबंदी लगा दी। मंगलवार सुबह आठ बजे किशोरी की मां गांव के प्रधान के घर गई थी, जबकि पिता बहन के यहां शादी में भात पहनाने के लिए गए थे। भाई-बहन स्कूल चले गए। शिशुपाल किशोरी के घर पहुंचा और उसकी गला रेतकर हत्या कर दी। वह अपने नाना के घर लौटा और टीनशेड के पाइप से फांसी लगाकर जान दे दी। इधर किशोरी की मां जब घर लौटी तो बेटी का रक्त रंजित शव देख चीख निकल पड़ी। लोगों से घर से शिशुपाल को निकलते देखे जाने की बात सामने आते ही परिजन उसके घर पहुंचे तो वह टीनशेड के नीचे फांसी पर लटका था। घटना की सूचना पर एएसपी आलोक प्रसाद, सीओ डेरापुर सौरभ वर्मा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे।

किशोरी की मौत के बाद घर में रोती-बिलखती मां व परिजन।

देश की अर्थव्यवस्था की तरह लड़खड़ा रही हर परीक्षा : अखिलेश

प्रयागराज। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था की तरह प्रदेश में होने वाली हर परीक्षा लड़खड़ा रही है। पूर्व एमएलसी व सपा नेता बासुदेव यादव के आवास पर मंगलवार को पत्रकारों के साथ बातचीत में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक 40 परीक्षा के पेपर लीक होने की लिस्ट तैयार की है, यह संख्या और अधिक हो सकती है। पूर्व सांसद डॉ. रीता बहुगुणा जोशी के मिंटो रोड स्थित आवास पहुंचकर उनके पति पूरन चंद्र जोशी को श्रद्धांजलि देने के बाद पूर्व एमएलसी के आवास पहुंचे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सरकार पर जानबूझकर पेपर लीक करने का आरोप लगाया। कहा कि प्रदेश में शिक्षा माफिया ने सरकार से हाथ मिला लिया है।

कोर्ट में महिला पहलवान यौन उत्पीड़न मामले में बयान दर्ज

नई दिल्ली/गोंडा, हिटी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने महिला पहलवानों से कथित यौन उत्पीड़न मामले में पूर्व भाजपा सांसद और पूर्व डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सुनवाई के दौरान विशेष जांच दल (एसआईटी) के एक सदस्य का बयान दर्ज किया है। अदालत ने अब मामले में जांच अधिकारी (आईओ) का बयान दर्ज करने के लिए 15 और 19 मई की तारीख तय की है।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अश्विनी पवार की अदालत में एसआईटी सदस्य इंस्पेक्टर संदीप ने गवाही दी। यह एसआईटी दिल्ली पुलिस द्वारा गठित की गई थी, जिसने महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच की थी। इस मामले में बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर के खिलाफ मुकदमा चल रहा है। आरोप है कि सिंह ने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष रहते हुए देश और विदेश में महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न किया।

भूषण बोले-सबको अपनी मर्यादा पता होनी चाहिए

नवाबगंज (गोंडा)। नन्दिनी के स्टेडियम मे खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करने मंगलवार को अखाड़े पर पहुंचे सांसद करन भूषण सिंह ने मीडिया से बातचीत के दौरान पहलवान विनेश फोगाट पर टिप्पणी की। उन्होने कहा कि हर किसी को अपनी मर्यादा का पता होनी चाहिए।

Office of the Principal, Autonomous State Medical College, Hardoi U.P.-241001

Letter No.-ASMC/Hardoi/विज्ञप्ति संविदा/2026/678 दिनांक: 12.05.2026

Applications are invited for various Contractual faculty Positions of Professor, Associate Professor and Assistant Professor in various department of ASMC Hardoi/ For detailed information and Application form visit college website https://asmchardoi.org and DGME Website http://dgme.up.gov.in

कार्यालय, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कौशाम्बी

पत्रांक:-एम०डी०एम/ 1085-90 /2026-27 दिनांक - 11/05/2026

विज्ञप्ति / निरस्तीकरण

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कौशाम्बी के पत्रांक संख्या एम०डी०एम०/12667-72/2024-25 दिनांक 28.02.2025 को जिला समन्वयक (एम०डी०एम०) एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर (एम०डी०एम०) के एक-एक रिक्त पद पर नवीन चयन हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी थी जिसे जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदन दिनांक 05.05.2026 के अनुपालन में उक्त विज्ञप्ति को निरस्त किया जाता है

उक्त पदों के नवीन चयन हेतु विज्ञप्ति पृथक से प्रकाशित की जायेगी।

डॉ० (कमलेन्द्र कुमार कुशवाहा)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
कौशाम्बी

कानपुर देहात में अकारू गांव में सनसनीखेज वारदात

मंगलपुर में प्रेमिका का गला रेत फांसी पर झूला

उरई में छात्रा से ट्यूशन टीचर ने की गंदी हरकत, गिरफ्तार

शर्मनाक

■ बंद कमरे में पढ़ाते समय अश्लील वीडियो दिखा की छेड़छाड़

कोंच(उरई), संवाददाता। कस्बे के एक मोहल्ले में गुरु और शिष्य के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। टीचर ने ट्यूशन पढ़ने आई आठवीं की छात्रा को न सिर्फ अपने मोबाइल फोन में अश्लील वीडियो दिखाया बल्कि उससे गंदी हरकत भी की। टीचर की घिनौनी हरकत से घबराई छात्रा किसी तरह भाग कर घर पहुंची और मामले की जानकारी मां को दी। पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी टीचर के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।

कोंच नगर में सोमवार देर शाम एक 12 वर्षीय छात्रा ट्यूशन पढ़ने के लिए टीचर समीर अग्रवाल के घर गई थी। आरोप है कि समीर ने छात्रा के साथ अश्लील हरकत की और गंदा वीडियो भी दिखाया। बंद कमरे में टीचर की इस घिनौनी हरकत से घबरा छात्रा भाग कर घर पहुंची और मां को दास्तां बताई। पीड़ित छात्रा के पिता ने कोतवाली पुलिस को मामले में तहरीर दी। कोतवाल बृजेश बहादुर ने बताया कि छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी समीर अग्रवाल के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है।

रूरा में खाई में पलटी वैन, 14 बच्चे घायल

रूरा(कानपुर देहात)। थाना क्षेत्र के गहलौं-बलेथा मार्ग पर मंगलवार को एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। निजामतपुर गांव के पास स्कूली बच्चों से भरी एक निजी वैन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में जा गिरी। हादसे के वक्त वैन में क्षमता से दोगुने बच्चे सवार थे। गनीमत रही कि हादसे में बच्चों को गंभीर चोटें नहीं आईं।

थाना क्षेत्र के गहलौं स्थित स्व. बलदेव प्रसाद विद्या निकेतन के छात्र स्कूल की छुट्टी के बाद वैन से अपने घर अहिरानी गांव जा रहे थे। जैसे ही वैन निजामतपुर गांव के पास पहुंची, चालक नियंत्रण खो बैठा और गाड़ी सीधे खाई में जा उतरी। चीख सुनकर ग्रामीणों और राहगीरों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। वैन मात्र 7 सवारियों की जगह पर 14 बैठाए थे।

महोबा में बहन की शादी के दिन दो भाइयों की हादसे में गई जान

■ शादी वाले घर में छाया रहा मातम, परिजनों में मचा कोहराम

महोबा, संवाददाता। तेज रफ्तार से डंपर ने बाइक सवार दो लोगों को रौंद दिया। हादसे में दोनों की मौत हो गई। वहीं मौका पाकर चालक डंपर छोड़कर भाग गया। बहन की शादी के दिन भाई की मौत से घर में मातम छा गया है।

जिले की सीमा क्षेत्र से लगे मप्र के छतरपुर जिले के प्रकाश बम्हौरी निवासी 21 वर्षीय रामनरेश पुत्र संतोष प्रजापति मंगलवार को अपने ममेरे भाई 19 वर्षीय नवाब पुत्र पप्पू निवासी पटवा खोड़ा लवकुशनगर मप्र के साथ बाइक से मुख्यालय डीजल लेने आ रहा था। रामनरेश की बहन कल्पना की मंगलवार को देवगांव पतौरा भरुआ से बारात आनी है। मंगलवार को शादी की रस्में चल रही थी तभी महोबा से डीजल लेकर लौटते समय पसवारा के पास तेज रफ्तार डंपर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दोनों युवकों की मौत हो गई। हादसे के बाद लोगों की भीड़ लग गई। इसी भीड़ का फायदा उठाकर चालक ने डंपर को छोड़कर मौके से फरार हो गया। लोगों ने घटना की सूचना परिजनों और पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दोनों लड़कों की मौत की खबर से परिजनों में कोहराम मच गया।

यमुना में नहाने उतरे छह डूबे, चार की मौत

आगरा। कमला नगर क्षेत्र में मंगलवार दोपहर यमुना नदी में नहाने गए किशोर किशोरियों समेत छह लोग डूब गए। इनमें से चार की मौत हो गई, जबकि दो को बचा लिया गया।

शोभानगर एत्मादुद्दौला निवासी सौरभ पुत्र भूरी सिंह ने बताया कि सोमवार को उनकी बेटी नित्या का पहला जन्मदिन था। उनके ससुराल कुंजलपुर से अंकित, कान्हा, महक व अंशुल आए थे। रीया निवासी तारसी मथुरा उनकी पत्नी की मौसी की बेटी भी जन्मदिन में शामिल होने आई थी। मंगलवार सुबह सभी चाचा के बेटे विक्की और बहन काजल के साथ यमुना में नहाने गए थे। तभी वह डूबने लगे। इसमें कान्हा, महक और रीया और विक्की की डूबने से मौत हो गई। वहीं अंशुल, काजल की हालत ठीक है।

फतेहपुर में पड़ोसी ने ताना तमंचा महिला ने छीन लिया

फतेहपुर। किशनपुर थाना क्षेत्र के अफजलपुर मजरे गढ़ा गांव में कुत्ते को लेकर हुए विवाद में पड़ोसी ने एक विधवा महिला पर अवैध तमंचा तान दिया। जान का खतरा देख महिला ने साहस दिखाते हुए आरोपी के हाथ से तमंचा छीन लिया। गांव निवासी विधवा राजवती का आरोप है कि पड़ोसी राजेश निषाद का कुत्ता उसके दरवाजे पर गंदगी फैला रहा था और लगातार भौंक रहा था। नाराज होकर राजेश उसके घर पहुंच और तमंचा राजवती पर तान दिया।

फतेहपुर में किसान के घर से 20 लाख की चोरी

अमौली(फतेहपुर)। चोरों ने सोमवार की रात एक घर को अपना निशाना बनाते हुए लाखों के जेवरात पार कर दिए। गश्त के दौरान घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और फोरेंसिक टीम को बुलाकर जांच शुरू कर दी।

चांदपुर थाना क्षेत्र के बबई गांव निवासी श्रवण लाल वर्मा के घर सोमवार की रात चोर सीढ़ी के सहारे छत पर चढ़े और खुले रास्ते से नीचे उतरकर कमरे में रखे बेड बाक्स का ताला खोल लिया।

बिहार सरकार
कार्यालय अधीक्षक मद्य-निषेध एवं उत्पाद, सीतामढ़ी
अल्पकालीन सूचना

एतद् द्वारा निम्नलिखित वाहनों के मालिकों को सूचित किया जाता है कि बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 एवं (संशोधन), 2018 के अन्तर्गत मद्य निषेध विभाग द्वारा अवैध शराब के परिवहन के आरोप में आपके वाहन को जप्त कर अधिहरण हेतु समर्पित प्रस्ताव के आलोक में अधिहरण वाद संधारित है, जिसकी सुनवाई न्यायालय मद्य निशेध, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के न्यायालय, सीतामढ़ी सदर में दिनांक:-26.05.2026 को 11:00 पूर्वाण निर्धारित की गई है:-

क्र० सं०	मद्य निषेध थाना कांड संख्या	अधीक्षक मद्य निषेध सीतामढ़ी से प्रस्ताव प्राप्ति का पत्रांक / दिनांक	अधिहरण वाद संख्या	वाहन का प्रकार एवं रजिस्ट्रेशन नम्बर / जमीन	चेचिस नं०	इंजन नं०	सरकार बनाम	सुनवाई की तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सीतामढ़ी 23 / 25	151 01.02.25	51/25	कार UP78CH-0818	MBJB2ZBT0 00008008	2NRV00 9957	शासीय, पे०-नवीशेर, सा०-जुही, छोटी मस्जिद के पास, थाना-कोतोली, जिला-कानपुर नगर	26.05.2026
2	सीतामढ़ी 108 / 25	337 06.03.25	110/25	कार UP32ED-5633	MBJB2ZBT4 00036104	2NRV05 0303	वंदना गोयल, पे०-पवन कुमार गोयल, सा०-सरस्वती लोक, बी-58, थाना-मेरठ, जिला-मेरठ	26.05.2026
3	सीतामढ़ी 136 / 25	513 04.04.25	144/25	कार UP85U-4148	MA3EED81S 00738373	F10DN4 562935	मो० सब्बीर खान, पे०-हफिक खान, सा०-अलीगंज तेहरील, ८/०-अफाक आलम, थाना-जौवल, जिला-बरेली	26.05.2026

आप अथवा वाद से संबंधित कोई अन्य व्यक्ति जिनका कोई हित निहित हो कॉलम-09 में निर्धारित तिथि को न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें अन्यथा आपकी अनुपस्थिति में एक पक्षीय सुनवाई कर आदेश पारित कर दिया जायेगा।
इसे शख्त ताकिद जाने।

अधीक्षक मद्य-निषेध
सीतामढ़ी।

PR- 002793 (Excise) 2026-27 नशे की मार, बर्बाद करे सुखी परिवार।

योजना का लाभ न देने पर डीएम चित्रकूट तलब

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना का लाभ देने पर विचार के लिए तीन अवसर देने के बावजूद अस्वीकार करने पर चित्रकूट के डीएम को 14 मई को हाजिर होकर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव एवं न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने राजवंतिया की याचिका पर अधिवक्ता जयदीप त्रिपाठी को सुनकर दिया है। कोर्ट ने डीएम चित्रकूट से यह स्पष्ट करने को कहा है कि उनका आदेश कैसे कायम रहने लायक है। याची ने पति को मौत के बाद मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना के तहत मुआवजे की मांग की। सुनवाई न होने पर हाईकोर्ट ने डीएम को निर्णय लेने का निर्देश दिया।

उरई में दो बसों के बीच दबकर परिचालक की मौत

■ कोंच बस स्टैंड का मामला, पुलिस घटना की जांच में जुटी

कोंच(उरई), संवाददाता। कोंच कोतवाली क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक दर्दनाक हादसे में बस परिचालक की मौत हो गई। हादसा कोंच बस स्टैंड पर उस समय हुआ जब दिल्ली से लौटी स्लीपर बस को पीछे कराया जा रहा था। इसी दौरान कंडक्टर दो बसों के बीच फंस गया, उसकी गंभीर हालत हो गई।

मृतक की पहचान योगेश पुत्र रामशंकर निवासी समरपुरा, इटावा के रूप में हुई है। उनकी उम्र 48 वर्ष बताई जा रही है। योगेश प्रिंस ट्रेवल्स की स्लीपर बस में कंडक्टर के पद पर कार्यरत थे। बताया गया है कि मंगलवार सुबह दिल्ली से आई प्रिंस ट्रेवल्स की बस कोंच बस स्टैंड पहुंची थी। बस को बैक कराया जा रहा था और कंडक्टर योगेश पीछे खड़े होकर चालक को दिशा-निर्देश दे रहे थे। वह पीछे खड़ी दूसरी बस को नहीं देख सके व दोनों बसों के बीच आ गए। वह गंभीर रूप से घायल हो गए। बस चालक ने ट्रेवल्स स्टाफ को सूचना दी और घायल योगेश को सीएचसी कोंच ले गए। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

कोर्ट | हाईकोर्ट ने स्कूलों में न्यूनतम दो शिक्षकों की तैनाती के आदेश दिए, अपर मुख्य सचिव के आदेश में स्थिति स्पष्ट नहीं

शिक्षक समायोजन में जूनियर-सीनियर विवाद

■ हाल ही में अमेठी और मदोही में जूनियर शिक्षकों का समायोजन
■ मेरठ, बुलंदशहर, लखीमपुर में सीनियर को दूसरे स्कूल भेजा

प्रयागराज, मुख्य संवाददाता। हाईकोर्ट के आदेश पर परिषदीय स्कूलों में हो रहे शिक्षकों के समायोजन में एक और विवाद पैदा हो रहा है। अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा पार्थसारथी सेन शर्मा के आदेश पर कुछ जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने जूनियर शिक्षकों को दूसरे स्कूल में भेज दिया है जबकि कुछ अन्य जिलों के बीएसए ने सीनियर शिक्षकों को समायोजित कर दिया है। अब इसको लेकर शिक्षकों ने विवाद करना शुरू कर दिया है। सीनियर कह रहे हैं कि जूनियर शिक्षक का समायोजन होना चाहिए जबकि जूनियर शिक्षक पहले से कार्यरत शिक्षकों को दूसरे स्कूल में भेजने पर अड़े हैं। चूंकि अपर मुख्य सचिव के चार मई के आदेश में यह साफ नहीं है कि जूनियर या सीनियर में किसका समायोजन होगा इसलिए इसे लेकर कानूनी विवाद होना तय है। इसमें सीनियर और जूनियर दोनों में से जिसका मनमाफिक स्कूल में समायोजन नहीं होगा, वही न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगा। सौरभ कुमार सिंह व छह अन्य की ओर से दायर विशेष अपील में हाईकोर्ट ने 22 अप्रैल को परिषदीय स्कूलों में न्यूनतम दो शिक्षकों की तैनाती के आदेश दिए थे। इस मामले की अगली सुनवाई 22 मई को होनी है।

20 मई तक अपर मुख्य सचिव ने सभी बीएसए से रिपोर्ट मांगी है

अपर मुख्य सचिव ने सभी बीएसए से समायोजन करते हुए 20 मई तक रिपोर्ट मांगी है। अब तक जिन जिलों में समायोजन हो चुका है उनमें अमेठी, बाराबंकी और भदोही में जूनियर शिक्षकों जबकि मेरठ, बुलंदशहर, प्रतापगढ़ और कौशांबी में सीनियर को दूसरों स्कूलों में भेजा जा रहा है। बरेली में वरिष्ठ शिक्षकों को सरप्लस माना गया है। लखीमपुर खीरी में वरिष्ठ शिक्षक को सरप्लस माना गया है लेकिन यदि सरप्लस अध्यापक महिला है तो अधिक ठहराव वाले पुरुष शिक्षक को समायोजित करने जा रहे हैं। हरदोई में दो कदम आगे बढ़ते हुए वरिष्ठ और कनिष्ठ दोनों सरप्लस शिक्षकों का डेटा मंगा लिया है। लखनऊ में अभी तक बीएसए ने सरप्लस में कनिष्ठ जाएगा या वरिष्ठ इसकी स्थिति तय नहीं की है।

यूको बैंक UCO BANK
सम्मान आपके विश्वास का — Honours your trust

अंचल कार्यालय: 75/4, सिद्धी सदन, हालसी रोड बादशाही नाका पुलिस स्टेशन के पास, कानपुर-208001
ई-मेल: zokanpur.rec@ucobank.co.in

अचल संपत्तियों के विक्रय हेतु विक्रय [नोटिस नियम 8 (6) का परन्तु देखें]

वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति प्रवर्तन अधिनियम, 2002 सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस।
आम लोगों (पब्लिक) को एवं विशेष रूप से उधारकर्ता (ओं) एवं गारंटर (ओं) को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति / रम्पत्तियाँ जो प्रतिभूति लेनदार **यूको बैंक** के पास प्रमारित गिरवी है, का कब्जा प्रतिभूत लेनदार **यूको बैंक** के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है और जिसे / जिन्हें उधारकर्ता (ओं) एवं गारंटर (ओं) की प्रतिभूति लेनदार यूको बैंक के प्रति देय बकाया धनराशि की वसूली हेतु **"जैसा है जहाँ है", "जैसा है वैसा है" एवं "जो कुछ भी है"** के आधार पर **दिनांक 30.05.2026** को बेचा जायेगा। विवरण निम्नवत् है:

क्र. सं.	उधारकर्ता(ओं) / गारंटर(ओं) का नाम एवं पता	मांग पत्र दिनांक / कब्जा दिनांक	अचल सम्पत्ति / सम्पत्तियों का विवरण ज्ञात भार के साथ यदि कोई है	बैंक को देय बकाया धनराशि	आरक्षित मूल्य / बयाना राशि
	शाखा:- औरैया (2954) (संपर्क नंबर:- 9005551356 , ईमेल- auraiy@ucobank.co.in				
1.	**उधारकर्ता:** **मेसर्स श्री कुबेरजी सप्लाइयर एण्ड डिस्ट्रीबूटर (प्रोप. श्रीमती सुषमा पत्नी ऋषि पाण्डेय)** **गारंटर:** **1. श्री ऋषि पाण्डेय पुत्र श्री संतोष कुमार** **2. श्रीमती सुषमा पत्नी ऋषि पाण्डेय** **सभी पता:** 398, मौजा कस्बा खानपुर, तिलक नगर औरैया—206122	**14.07.2021** **08.10.2021** **(सांकेतिक कब्जा)**	संपत्ति के सभी भाग व खण्ड को मिलाकर भूमि एवं भवन, क्षेत्रफल 85.50 वर्ग मीटर या 920.00 वर्ग फीट, बही संख्या 1, जिल्द संख्या 7376, पृष्ठ संख्या 131 से 190, क्रमांक 2406 के अनुसार दिनांक 05.03.2019 को उप-रजिस्ट्रार औरैया के कार्यालय में पंजीकृत स्थित फ्लॉट संख्या 398, मौजा कस्बा खानपुर (तिलक नगर), परगना एवं जिला औरैया. **मालिक:** श्री ऋषि पाण्डेय पुत्र श्री संतोष कुमार, निवासी मोहल्ला बदनपुर, औरैया, परगना एवं जिला औरैया **चौहद्दी: का विवरण (दस्तावेज के अनुसार):** **पूर्व:** 5.79 मीटर (19 फीट) सड़क, **पश्चिम:** अखिलेश पाण्डेय का फ्लॉट, **उत्तर:** गुप्ता जी का फ्लॉट, **दक्षिण:** वंदना अग्निहोत्री का फ्लॉट	**रू. 23,38,551.32** दिनांक 11.05.2026 तक + अप्रयुक्त ब्याज, शुल्क, लागत एवं खर्चें आदि	**रू. 14,50,000/-** **रू. 1,45,000/-**

निरीक्षण दिनांक 21.05.2026 प्रात: 11:00 बजे से 30.05.2026 रात 12:00 बजे तक । बोली के लिए बयाना राशि जमा करने की अन्ति तिथि: 30.05.2026 रात 12:00 बजे तक (भारतीय मानक समयानुसार) ई-नीलामी की तिथि एवं समय: 30.05.2026 दोपहर 01.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक (भारतीय मानक समयानुसार) जहाँ प्रत्येक 10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ बोली बढ़ाने की राशि रु. 10,000/- होगी।

विक्रय के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए कृपया वेबसाइट **https://baanknet.com** पर जायें।
नोट— इस नोटिस के हिंदी और अंग्रेजी संस्करण क्रमश: हिंदी और अंग्रेजी समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जा रहें हैं। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि नोटिस के हिंदी और अंग्रेजी संस्करण में किसी प्रकार के विरोधाभास की स्थिति में, नोटिस का अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

दिनांक: 13.05.2026 **स्थान: औरैया** **प्राधिकृत अधिकारी (यूको बैंक)**